भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3018

दिनांक 06.08.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जल जीवन मिशन का विस्तार

†3018. श्री नरेश गणपत म्हस्केः
श्रीमती भारती पारधीः
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदेः
डॉ. राज कुमार चब्बेवालः
श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणेः
श्री रविन्द्र दत्ताराम वायकरः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का देशभर में कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) का सर्वसुलभ कवरेज प्राप्त करने के उद्देश्य से जल जीवन मिशन (जेजेएम) को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त मिशन के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हासिल हुई है, और इसमें ग्रामीण परिवारों की कवरेज और पेयजल अवसंरचना में किए गए सुधार का ब्यौरा क्या है;

(ग) उन कारणों और नीतिगत विचार का ब्यौरा क्या है जिनके कारण उक्त मिशन को इसकी पूर्व निर्धारित समय-सीमा से आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ी थी;

(घ) क्षेत्रीय असमानताओं, जल की गुणवत्ता संबंधी चुनौतियों और पेयजल स्रोतों की संधारणीयता का समाधान करने के लिए विस्तारित अवधि के दौरान क्या कार्यनीतियां अपनाई जा रही हैं; और

(ङ) क्या प्रस्तावित विस्तार जल सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों में सुधार के दीर्घकालिक उद्देश्यों के अनुरूप हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) और (ख) पेयजल राज्य का विषय है इसलिए जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत योजनाओं सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य

ही करते हैं। भारत सरकार मिशन के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में मदद करती है

अगस्त 2019 में, भारत सरकार ने प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए पांच वर्ष (2019-24) की अवधि के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन को कार्यान्वित करने को अनुमोदित किया।

जेजेएम की घोषणा के समय, देश में केवल 3.23 करोड़ (17%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 18.07.2026 तक, लगभग 12.66 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 18.07.2026 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से लगभग 15.89 करोड़ (82.09%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना है।

(ग) से (ङ) प्रगतिशील कार्यों को पूरा करने के लिए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जेजेएम की अवधि को 2028 तक विस्तारित करने की घोषणा की। मार्च 2026 में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जेजेएम की अवधि को बढ़े हुए परिव्यय के साथ दिसंबर 2028 तक विस्तारित करने और जेजेएम 2.0 के अंतर्गत ग्रामीण पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में संरचनागत सुधारों पर ध्यान केंद्रित करते हुए पुनर्गठित कार्यान्वयन फ्रेमवर्क को अनुमोदित कर दिया है। मिशन का कुल परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 8.69 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है, जिसमें कुल केंद्रीय सहायता 2.08 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3.59 लाख करोड़ रुपये कर दी गई है।

जेजेएम की परिकल्पना और कार्यान्वयन एक विकेन्द्रीकृत, मांग-संचालित और सामुदायिक प्रबंधित कार्यक्रम के रूप में की गई है, जिसमें ग्राम पंचायत (जीपी) और/या इसकी उप-समिति/उपयोगकर्ता समूह अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी)/पानी समिति को ग्रामीण परिवारों हेतु नियमित और सुनिश्चित नल जल आपूर्ति प्रदान करने के लिए गांव में जल आपूर्ति प्रणाली की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन तथा रखरखाव करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा, ग्राम समुदाय को शामिल करने के लिए ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के संबंध में जेजेएम के कार्यान्वयन हेतु कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों में प्रावधान किया गया है, जिसमें *अन्य बातों के साथ-साथ* अन्य स्कीमों के सामंजस्य से पेयजल स्रोतों का सुदृढ़ीकरण शामिल है। जेजेएम के अंतर्गत टिकाऊ और निरंतर सेवा प्रदायगी हेतु जनभागीदारी को बढ़ावा देने के लिए, जल अर्पण पहल के तहत एक मानकीकृत "समुदाय-प्रबंधित पाइपगत जल प्रणालियों संबंधी पुस्तिका" जारी की गई है। इस पुस्तिका में जल आपूर्ति योजनाओं के सुचारू हस्तांतरण और टिकाऊ संचालन को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम पंचायतों और वीडब्ल्यूएससी/पानी समिति के सदस्यों को शामिल करते हुए 15 दिनों के परीक्षण का अधिदेश दिया गया है। इसके अलावा,

जल सेवा आकलन को ग्रामीण पेयजल आपूर्ति प्रणालियों की कार्यशीलता और सेवा प्रदायगी का मूल्यांकन करने के लिए ग्राम पंचायत के नेतृत्व वाले डिजिटल मूल्यांकन साधन के रूप में शुरू किया गया है।

इसके अलावा, स्थानीय ग्राम समुदाय को जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन और रखरखाव में अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से नल जल मित्र कार्यक्रम (एनजेएमपी) शुरू किया गया है ताकि उन्हें कौशल के एक व्यापक सेट से लैस किया जा सके और "नल जल मित्र" विकसित किए जा सकें, ताकि वे योजना ऑपरेटरों के रूप में कार्य कर सकें और अपने गांव में कुशल राजमिस्त्री, प्लंबर, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, मोटर मैकेनिक, पम्प ऑपरेटर आदि के रूप में पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों के निवारक अनुरक्षण सहित मामूली मरम्मत तथा रखरखाव करने में सक्षम बन सकें।

सूखा-प्रवण और पेयजल की कमी वाले क्षेत्रों/अपर्याप्त वर्षा या अभरोसेमंद भूजल स्रोतों वाले क्षेत्रों में नल जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लंबी दूरी से थोक जल अंतरण और क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजनाओं की आयोजना और कार्यान्वयन के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अन्य योजनाओं जैसे वीबी-जी राम जी, एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी), 15वें और 16वें वित्त आयोग द्वारा आरएलबी/पीआरआई को सर्शत अनुदान, राज्य योजनाओं, सीएसआर निधियों आदि के सामंजस्य से स्रोत पुनर्भरण जैसे कि समर्पित बोरवेल पुनर्भरण संरचनाएं, वर्षा जल पुनर्भरण, मौजूदा जल निकायों का कायाकल्प, आदि के लिए प्रावधान किए गए हैं।

जेजेएम 2.0 संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से अवसंरचना-केंद्रित दृष्टिकोण से नागरिक-केंद्रित उपयोगिता-आधारित सेवा प्रदायगी अवधारणा में बदलाव करके पेयजल की सुनिश्चित आपूर्ति के साथ विकसित भारत @ 2047 के विज़न को पूरा करने में भी सहयोग करता है।
